एफ.सं. डब्ल्यू-02/ 0027/2022-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-XXIII/2022

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 02 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित अतिथि गृहों में सीपीएसई के बोर्ड स्तर ओर बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों, गैर संघबद्ध पर्यवेक्षकों और सीवीओ को उनके अस्थायी प्रवास (छह महीने की अधिकतम अवधि तक) में किराए की प्रतिपूर्ति/एचआरए का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है कि सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर और उससे नीचे के कार्यपालक, गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षक और सीवीओ सीपीएसई/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित अतिथि गृहों में सब्सिडी प्राप्त कमरे के किराए का भुगतान करके रह रहे है और इसके साथ ही एचआरए का भी दावा कर रहे हैं।

2. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालक, गैर-संघीकृत पर्यवेक्षक और सीवीओ को नए स्टेशन पर उनकी नियुक्ति/स्थानांतरण/तैनाती पर, यदि वे अस्थायी रूप से सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित राज्य भवनों/अतिथि गृहों/विभागीय अतिथि गृहों में अस्थायी रूप से ठहरते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन भुगतान किए गए किराए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है:-

क) अधिकारी ने अपनी पात्रता के आवास के लिए आवेदन किया है, लेकिन संबंधित सीपीएसई द्वारा आवासीय स्थान आवंटित नहीं किया गया है।

ख) संबंद्ध अतिथि गृह अधिकारी की तैनाती के स्थान पर स्थित होना चाहिए।

ग) अधिकारी को सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित गेस्ट हाउस में रहना चाहिए और किराए के भुगतान की पुष्टि में किराया रसीद जमा करनी चाहिए।

घ) किराए की प्रतिपूर्ति अधिकतम छह महीने की अवधि तक स्वीकार्य होगी।

ङ) इस अवधि के दौरान कोई मकान किराया भत्ता (एचआरए) स्वीकार्य नहीं होगा।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अनुपालन के लिए उपर्युक्त को प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।

(नरेश कुमार)

अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:

1. सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, ई-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ईओ प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।